



MADHYA PRADESH

एस/5209/99
02RA1648016

खम क्रमांक 2
द्विधिये नियम 78
मध्य प्रदेश शासन
मोनोग्राम

S-1368/08
26-5-08

स म ति का प नी य न - प्र मा ष - प त्र :-

क्रमांक भोपाल होशंगाबाद संभाग 7407/99

यह प्रमाणित किया जाता है कि आयुष्मती एज्युकेशन एन्ड सोशल सोसायटी समिति जो आयुष्मान हास्पीटल सी-सेक्टर शाहपुरा भोपाल सहस्रौल हुजर जिला भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 सन 1973 का क्रमांक 44 के अधीन 15.10.99 को पंजीयित की गई है।

दिनांक पंद्रह माह अक्टूबर सन 1999


5/2-10

हस्ता/-

श्रीएम एल लक्सेना
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

सत्यप्रतिनिधि:-

23/5/99



TRUE COPY ATTESTED

18/2/2009
RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE, NOTARY
SEHORE (M.P.)

Handwritten notes and signatures in Hindi, including 'सही मुद्रा' and 'समिति'.

18-8/17


23-9-17

फॉर्म नं. 740
रजिस्ट्रेशन दिनांक 15/11/1999
संशोधन दिनांक 18/8/17

समिति की नियमावली (संशोधित नियमावली)

अति. निस्कार

1. समिति का नाम - इस समिति का नाम आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी होगा ।
2. कार्यालय - एस समिति का प्रधान कार्यालय 202, गंगा जमुना काम्पलेक्स, जोन -1, एम.पी. नगर भोपाल तह. हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) ।
3. कार्यक्षेत्र - इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा ।
4. उद्देश्य - इस समिति के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-



1. छात्र एवं छात्राओं को साईंस टेक्नॉलोजी के रिसर्च के शिक्षण व प्रशिक्षण हेतु आधुनिक एवं तकनीकी स्तर पर विद्यालय एवं महाविद्यालयों की स्थापना कर संचालन करना ।
2. उपरोक्त शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तकनीकी, इंजीनियरिंग, पोजीटेवनिक, मेडिकल, फार्मसी, होटल मैनेजमेंट, एम.बी.ए., एम.सी.ए., नर्सिंग, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, पत्र-पत्रकारिता शिक्षा, दंत चिकित्सा, पैरामेडीकल, ऐरोनेटिक, फैशन डिजायनिंग, कोर्स बी.एड, डी.एड., एम.एड, बी.पी.एड., एवं विधि स्नातक एवं अन्य सभी प्रकार की उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, एवं चिकित्सा शिक्षा, संबंधी विषयों की शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालयों की स्थापना कर उनका संचालन एवं प्रबंधन करने के कार्य करना ।
3. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्थाओं के संचालन हेतु समुचित व्यवस्था करना ।
5. सदस्यता :- इस समिति में निम्न श्रेणी के सदस्य होंगे :-
 - (अ) संरक्षक सदस्य :- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये 25,000/- रुपये या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा संरक्षक समिति का आजीवन सदस्य रहेगा ।
 - (ब) आजीवन सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रुपये 10,000/- रुपये या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा । कोई भी आजीवन सदस्य 15,000/- रुपये अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है ।



Signature

TRUE COPY ATTESTED

10/12/2021
RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE, NOTRY
SEHORE (M.P.)

फॉर्म रजिस्ट्रेशन नं. 2407
रजिस्ट्रेशन दिनांक 15/11/99
संशोधन दिनांक 10/11/11

(स) साधारण सदस्य :- जो व्यक्ति रूपये 50/- रूपये प्रतिमाह 600/- रूपये प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल इसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिये उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी । ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।



सम्माननीय सदस्य :- संस्था की प्रबंधकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है । ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं । परन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

6. सदस्यता की प्राप्ति :- प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो समिति द्वारा निर्धारित फॉर्म पर लिखित रूप से आवेदन करना होगा । ऐसा आवेदन-पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसे कि उस आवेदन-पत्र को किसी कारण से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार होगा ।

7. सदस्यों की योग्यताएँ :- समिति का सदस्य बनने के लिये व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-

- (अ) आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
- (ब) भारतीय नागरिक हो ।
- (स) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो ।
- (द) सदचरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।

8. सदस्यता की समाप्ति :- समिति की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :-

1. मृत्यु हो जाने पर,
2. पागल हो जाने पर,

3. समिति को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर

4. आवेदन पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर,



TRUE COPY ATTESTED

10/11/2021
RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE, NOTRY
SEHORE (M.P.)

फॉर्म रजिस्ट्रेशन नं. 740
रजिस्ट्रेशन दिनांक 12/10/2019
संशोधन दिनांक 10/11/2019

5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के नियम अनुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी ।

9. समिति के कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न व्योरे दर्ज किए जाएंगे ।

(अ) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय ।

(ब) वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नम्बर ।

(स) वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो ।

साधारण सभा :- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी । परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगा । बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी

समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगा । बैठक का पत्र 3/5 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के

भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो

पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जायेगा ।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा :- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से 7 दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी ।

(स) विशेष सभा :- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14



TRUE COPY ATTESTED

RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE, NOTARY
SEHORE (M.P.)

फॉर्म रजिस्ट्रेशन नं. 1010/147
रजिस्ट्रेशन दिनांक 10/15/10/09
संशोधन दिनांक 10/17/10

आसे गिरीदा

दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने
तमी समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व. कर्तव्य :-

- (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परिक्षकों की नियुक्ति करना।
(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
(ङ) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों की स्वीकृति करना
(च) बजट का अनुमोदन करना।

प्रबंधकारिणी का गठन :- ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे,

नियम 5 (अ.ब.स) में दर्शाये गए सदस्यों जिनके नाम पंजीयन रजिस्टर में दर्ज हो, बैठक के
आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

- | | | | | | |
|-----------------|---|---|---------------|---|---|
| 1) अध्यक्ष | - | 1 | 2) उपाध्यक्ष | - | 1 |
| 3) सचिव | - | 1 | 4) कोषाध्यक्ष | - | 1 |
| 5) संयुक्त सचिव | - | 1 | 6) सदस्य | - | 2 |

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल :- प्रबंध समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, समिति

का यथेष्टा कारण होने पर उस समिय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण
नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त छः माह से अधिक
नहीं होगी। जिसका अनुमोदन साधारण सभा में करना अनिवार्य होगा।

14. प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-

- (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस
आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
(ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के
साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।



TRUE COPY ATTESTED

RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE, NOTARY
SEHORE (M.P.)

फॉर्म रजिस्ट्रेशन नं. 74/2/99
रजिस्ट्रेशन दिनांक 15/11/99
संशोधन दिनांक 10/11/99


राशि, रजिस्ट्रार

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय समय पर सौंपे जाए

(च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी ।



संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना, विक्रय द्वारा अथवा अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जायेगी । किन्तु रामकृष्ण धर्मार्थ जनकल्याणकारी ट्रस्ट भोपाल से भी सहमति प्राप्त करना अनीवार्य होगी ।

विशेष बैठक में आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

15. अध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव (मंत्री) द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णात्मक होगा ।

16. उपाध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्षकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

17. सचिव (मंत्री) के अधिकार :-

1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय - समय पर बुलाव और समस्त आवेदन पत्रों तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना ।

2. समिति का आय - व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के



TRUE COPY ATTESTED

18/2/2021
RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE, NOTARY
SEHORE (M.P.)

फॉर्म रजिस्ट्रेशन नं. 2407
रजिस्ट्रेशन दिनांक 17/10/19
संशोधन दिनांक 10/11/19

3. समिति के अनुसार सार कागजातों को तैयार करना तथा करवाना । उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना । समस्त बैठकों की कार्यवाही को लिपिबद्ध करना
4. सचिव को एक समय में रुपये 500/- खर्च करने का अधिकार होगा ।
5. सचिव की अनुपस्थिति में उनके कार्य संयुक्तसचिव करेगा ।

18. कोषाध्यक्ष के अधिकार :- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

बैंक खाता :- संस्था की सम्पत्ति निधि किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा होगी । वहाँ पर आहरण अध्यक्ष, मंत्री, या कोषाध्यक्ष में से कोई भी दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 500/- रहेंगे ।


20. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारियाँ :- अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परिक्षित लेखा भेजी जावेगी ।
21. संशोधन :- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक के कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फॉर्म एवं संस्थाओं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा ।
22. विघटन :- संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा । विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समन उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।
23. सम्पत्ति :- संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फॉर्म एवं संस्थाएँ की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तर्गत नहीं की जा सकेगी ।

NOTARY
RAJEEV MISHRA
ADVOCATE
SEHORE
MP-3080121
822018

TRUE COPY ATTESTED
18/11/2019
RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE NOTRY
SEHORE (M.P.)

407
 फॉर्म रजिस्ट्रेशन नं. 1718/2017
 रजिस्ट्रेशन दिनांक 18/09/17
 संशोधन दिनांक 18/09/17
 रजिस्ट्रार

24. बैंक खाता :- संस्था की सामस्त निधि किसी बैंक या पोस्ट आफिस में खोला जाएगा एवं समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।
25. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :- संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फॉर्म एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।
- विवाद :- संस्था में किसी प्रकार विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुनिश्चाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चय या निर्णयों से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की और विवाद को निर्णय के लिये भेज सकते हैं। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समित के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।



अध्यक्ष
 कोषाध्यक्ष
 सचिव

शुल्क रुपये 280/- योजन नं./रस.द नं.
 दिनांक 18-9-17 नया है। यह मूल
 दस्तावेजों की प्रतियों की है।
 जारी होने की तिथि

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर
 T. C.



18
 23-09-17
 असिस्टेंट रजिस्ट्रार
 फॉर्म एवं संस्थाएं
 पोपल नर्मदा नगर, पोपल
 23-9-2017

TRUE COPY ATTESTED
 18/9/2017
 RAJEEV KUMAR MISHRA
 ADVOCATE, NOTARY
 SERORE (M.P.)

प्ररूप सात

(नियम 11 देखिये)

21/01/20
11/2/21

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क. 44 सन 1973) की धारा 27 के अधिन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

- सोसायटी का नाम और पूरा पता : आयुष्मति एजुकेशन एवं सोशल सोसायटी, 202, गंगा जमुना कॉम्पलेक्स, एम. पी. नगर, जोन-1, गोपाल
- पंजीयन क्रमांक तथा तारीख : पंजीयन क्रमांक 7407 दिनांक 15.10.1999
- साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख : 15/01/2021
- विद्यमान पदाधिकारियों की सूची : कार्यकाल तारीख 14.01.2020 से 13.01.2025 तक



अ.क्र.	नाम, पिता/पति का नाम	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.	श्रीमति जनक कपूर पति स्वर्गीय श्री आर. एन. कपूर	165-9ए, साकेत नगर भोपाल	अध्यक्ष	समाजसेवा	[Signature]
2.	श्री सिद्धार्थ कपूर पिता श्री डॉ. सुनील कपूर	ई-3/4 अरेरा कालोनी भोपाल	उपाध्यक्ष	समाजसेवा	[Signature]
3.	डॉ. साधना कपूर पति डॉ. सुनील कपूर	ई-3/4 अरेरा कालोनी भोपाल	सचिव	चिकित्सक	[Signature]
4.	श्रीमति रुचि कपूर पति श्री सिद्धार्थ कपूर	202, गंगा जमुना कॉम्पलेक्स, जोन-1, भोपाल	सह. सचिव 14/03/2020	समाजसेवा	[Signature]
5.	श्री विमल नाथ पिता श्री स्व. के.बी. नाथ	165, पटेल नगर मंडीदीप, भोपाल	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा	[Signature]
6.	डॉ. सुनील कपूर पिता स्वर्गीय श्री आर. एन. कपूर	ई-3/4 अरेरा कालोनी भोपाल	सदस्य	चिकित्सक	[Signature]
7.	श्रुती कुमारी पिता श्री डॉ. सुनील कपूर	ई-3/10 नुपूरकुंज अरेरा कालोनी भोपाल	सदस्य	चिकित्सक	[Signature]

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि

- मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क. 44 सन 1973) की धारा 27 के अधिन 1.04.01/... रु. की वार्षिक फीस, चालान क्रमांक 14753755 दिनांक 18/01/2021 के द्वारा जमा कर दी गई है, उसकी मूल प्रति संलग्न है।



TRUE COPY ATTESTED

18/01/2021
RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE NOTARY
SEHORE (M.P.)

11.02.21

(एम.जे. कुरेशी)
अतिरिक्त न्यायाधीश
फार्म 10/2011

गर्मदापुरम संसद भोपाल (म.प्र.)

घोषणा



मैं श्रीमती जनक कपूर पत्नि स्वर्गीय श्री आर. एन. कपूर ^{आयु लगभग 85 वर्ष एक} प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसाइटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है। मैं यह जानता/जानती हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधिन दण्ड का दायी हो रहूँगा/रहूंगी।

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973
की धारा 29 के तहत प्रतीतिपि

अध्यक्ष/सचिव
जनक कपूर
(श्रीमती जनक कपूर)

11.02.21

(एम.जे. कुरेशी)

अति. रजिस्ट्रार

फर्म/पुनः संस्थाप

महाराष्ट्र नगरपालिका (म.प्र.)



TRUE COPY ATTESTED

RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE, NOTRY
SEHORE (M.P.)

1

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



सत्यमेव जयते

ONE HUNDRED RUPEES

00100
100100100100
100100100100
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH



BG 458768

साक्षरता एडवोकेट्स सोसायटी, भोपाल
दिनांक 15/10/94 के नाम से दिनांक 19/01/94
प्रस्तुत मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 की
धारा 27 की जानकारी की प्रतिलिपि हेतु धारा 29 के तहत
दिनांक 19/01/94 को आवेदन प्रस्तुत किया गया।
धारा 27 के तहत प्रस्तुत शासी निकाय की सूची की वैधानिकता
के संबंध में प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी स्वयं उत्तरदायी है। कार्यालय
द्वारा धारा 29 के तहत कंपल प्रतिलिपि मात्र जारी की गई है।
धारा 29 के तहत जारी प्रतिलिपि पदाधिकारियों की वैधानिकता
के संबंध में प्रमाण-पत्र आदेश नहीं है।



11-02-21
जति. रजिस्टार,
कर्म पत्र संस्थाएँ

TRUE COPY ATTESTED

RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE, NOTRY
SEHORE (M.P.)